कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एस0 एम0 एसोशिएट, सेक्टर-के-1164ए, प्रथम तल, आशियाना, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**071 / 09, 29.07.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री एस0 एम0 एसोशिएट, सेक्टर-के-1164ए, प्रथम तल, आशियाना, लखनऊ द्वारा दिनांक 29.07.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा '' Inj. Human Albumin 20% '' पर कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 06.02.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में Blood एवं Blood Plasma करमुक्त हैं। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों जैसे-एस0 जी0 पी0 जी0 आई0, कमान्ड एवं रेलवे चिकित्सालयों द्वारा व्यापारी को वैट चार्ज करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रान्त के अन्य व्यापारियों द्वारा भी सन्दर्भित वस्तु पर वैट वसूल नहीं किया जा रहा है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1761, दिनांक 21.08.2009 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-1 के क्रमांक-20 पर ह्यूमन ब्लड एवं ब्लड प्लाज्मा वर्गीकृत किया गया है। अनुसूची-1 में उक्त वस्तु करमुक्त है। अनुसूची में अंकित वस्तु से स्पष्ट है कि ह्यूमन ब्लड एवं ब्लड प्लाज्मा करमुक्त है जबकि व्यापारी द्वारा बेचे जाने वाला माल ह्यूमन ब्लड एवं ब्लड प्लाज्मा की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि ब्लड प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक प्रोटीन मात्र है। अनुसूची में ब्लड प्लाज्मा एण्ड इट्स कम्पोनेन्ट की प्रविष्टि नहीं है अत: ब्लड प्लाज्मा के कम्पोनेन्ट अर्थात एल्ब्यूमिन 20% को करमुक्त नहीं माना जा सकता।

यह भी उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-25 (1) के अन्तर्गत पारित कर-निर्धारण आदेश के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निहित प्राविधानों के अनुसार व्यापारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 का प्रार्थना-पत्र विचार किये जाने योग्य नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी श्री दीपक मनचन्दा के प्रार्थना-पत्र पर उक्त वस्तु के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रार्थना-पत्र संख्या-98 / 09 सर्वश्री D.N. Associates, 8 Sugnamal Market, 39 Aminabad, Lucknow. के प्रकरण में दिनांक 02.11.2010 को निर्णय पारित करते हुए करदेयता निर्धारित की जा चुकी है

.....2

अत: पुन: कर की दर का अभिनिर्धारण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में स्वयं उल्लेख किया गया है कि यह प्रश्न उनके द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-25 (1) के अन्तर्गत डिप्टी कमिश्नर, खण्ड-09, वाणिज्य कर, लखनऊ द्वारा पारित अनन्तिम कर-निर्धारण आदेश प्राप्त होने के बाद पूछा जा रहा है । प्रार्थना-पत्र से स्पष्ट है कि जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रार्थी के विरूद्ध की गयी अनन्तिम कर-निर्धारण की कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निम्न व्यवस्था है :- '' No question which arises from an order already passed, in the case of applicant by any authority under this Act or the Tribunal, shall be entertained for determination under this section. '' स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निर्धारित व्यवस्था से आच्छादित है जिसके कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.07.2009 में जिन प्रश्नों का समाधान करने की अपेक्षा की गयी वे प्रश्न प्रार्थी के विरूद्ध अनन्तिम कर-निर्धारण की कार्यवाही से उत्पन्न हुए हैं । ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में निहित व्यवस्था से आच्छादित हैं जिसके कारण उक्त प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त प्रश्नगत वस्तु पर, धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 02.11.2010 से कर की दर का निर्धारण किया जा चुका है । अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 12 फरवरी, 2014

ह0 / 12.02.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।